

बिहार सरकार पर्यटन विभाग

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास निगम को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के संबंध में दिशा निर्देश एवं शिकायत निवारण समितियों का गठन संबंधी सामान्य पशासन विभाग, बिहार, पटना के सकल्प ज्ञापाक संख्या-17903 दिनांक 29.12.2014 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में पर्यटन विभाग में गठित आन्तरिक परिवाद समिति (**Internal Complaints Committee**) निम्नवत् है:-

1.	श्रीमती इन्दु कुमारी	उप सचिव, पर्यटन विभाग	अध्यक्ष
2.	श्रीमती लीना कुमारी	उप निदेशक, पर्यटन विभाग	सदस्य
3.	श्री राज किशोर प्रसाद	सहायक निदेशक, पर्यटन	सदस्य
4.	सुश्री मधु त्रिपाठी	उच्चवर्गीय लिपिक	सदस्य
5.	श्री सुधीर कुमार	सूचना सहायक ग्रेड-1, पर्यटन विभाग	सदस्य

आदेशानुसार
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना